भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2206
दिनांक 12 फरवरी, 2026

पंजाब में ईंधन की कीमतों में रुझान और आपूर्ति

†2206.**श्री चरनजीत सिंह चन्नीः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पंजाब में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की प्रवृत्तियों और आपूर्ति की स्थिति की निगरानी की है, जहां पेट्रोल की कीमतें विशिष्ट स्तरों के आसपास चल रही हैं और ये दैनिक गतिशील मूल्य निर्धारण उपभोक्ताओं को प्रभावित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ईंधन की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण नागरिकों और ट्रांसपोर्टरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) क्या अवैध अथवा अनधिकृत ईंधन वितरण की कड़ी निगरानी सहित पूरे पंजाब में ईंधन की कीमतों को स्थिर करने और उसकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे उपायों के क्या परिणाम निकले हैं और मूल्य में कमी अथवा विनियामक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ) पेट्रोल और डीज़ल के मूल्य बाज़ार द्वारा निर्धारित हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसीज़) पेट्रोल और डीज़ल के मूल्यों के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेती हैं। पेट्रोल और डीज़ल के अन्तिम विक्रय मूल्यों में केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए उत्पाद शुल्क और सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा तय किए गए राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट)/कर शामिल होते हैं। केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 और मई 2022 में पेट्रोल और डीज़ल पर क्रमशः 13 रुपए/लीटर और 16रुपए/लीटर उत्पाद शुल्क कम करके पूरे देश में मूल्यों में एक जैसी कमी की। जहाँ अधिकांश राज्य सरकारों ने नागरिकों को और राहत देने के लिए वैट दर कम किया, वहीं कुछ राज्य सरकारों ने ऐसा नहीं किया।

दिनाँक 06.02.2026 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली और पंजाब (जालंधर) में पेट्रोल और डीज़ल के खुदरा विक्रय मूल्य (आरएसपी) का विवरण निम्नानुसार हैं:-

(रुपए/लीटर)

राज्य	संदर्भ शहर	पेट्रोल			डीजल		
		उत्पाद शुल्क	वैट	आरएसपी	उत्पाद शुल्क	वैट	आरएसपी
दिल्ली	नई दिल्ली	21.90	15.40	94.77	17.80	12.83	87.67
पंजाब	जालंधर	21.90	17.45	97.55	17.80	12.41	87.38

स्रोत – पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू कर संरचना को कैलिब्रेट करने के लिए सरकार ने जब भी आवश्यक हुआ, वित्तीय हस्तक्षेप किए हैं। अप्रैल 2025 में, पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क 2 रुपये/लीटर बढ़ाया गया था, लेकिन इसका भार ग्राहकों पर नहीं डाला गया।

पीएसयू ओएमसी ने अन्तरराज्यीय माल भाड़े को युक्तिसंगत भी किया है। राज्यों के दूरस्थ क्षेत्रों में पेट्रोल और डीज़ल के मूल्यों में कमी होने पर दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों, जो पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट्स (पीओएल) डिपो से दूर हैं, को लाभ हुआ है। इस पहल से एक राज्य के अंदर पेट्रोल या डीज़ल की अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के बीच का अंतर भी कम हुआ है। देश भर के राज्यों में अलग-अलग माल-भाड़ा दर, वैट/स्थानीय उगाही इत्यादि के कारण पेट्रोल और डीज़ल के मूल्य अलग-अलग होते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) के पंजाब राज्य में 10 टर्मिनल/डिपो (बीपीसीएल-4, एचपीसीएल-3, आईओसीएल-3) और 4061 खुदरा विक्रय केन्द्र (बीपीसीएल-837, एचपीसीएल-1095, आईओसीएल-2129) हैं, ताकि पूरे पंजाब में एमएस और एचएसडी की बिना रुकावट और निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

पीएसयू ओएमसीज़ ने विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) बनाकर लागू की हैं और ओएमसी के अधिकारी समय-समय पर खुदरा विक्रय केन्द्रों पर गड़बड़ियों/कदाचारों की जांच के लिए नियमित/औचक निरीक्षण करते हैं और एमडीजी एवं डीलरशिप करार के अनुसार स्थापित मामलों में कार्रवाई की जाती है।

केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीज़ल (आपूर्ति, वितरण और कुप्रथाओं की रोकधाम का विनियमन) आदेश, 2005 भी जारी किया है जिसमें गलत कार्यकलापों के विरुद्ध दण्ड देने का प्रावधान है। इसके अलावा, जून, 2022 में, सरकार ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) का दायरा दूरस्थ क्षेत्रों के खुदरा विक्रय केन्द्रों सहित सभी खुदरा विक्रय केन्द्रों तक बढ़ा दिया है। यूएसओ इसलिए नियत किए गए हैं ताकि प्राधिकृत कम्पनियाँ ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता और बिना रुकावट के ईंधन आपूर्ति सेवा दे सकें।

*****